

क्रमांक:- ३/८२५ / एक-२३-१/०१
प्रति,

शिवपुरी, दिनांक:- ०६/०३/२४

- 01— श्रीमती वंदना जैन, विशेष न्यायाधीश शिवपुरी
- 02— श्री विवेक शर्मा, प्रथम जिला न्यायाधीश शिवपुरी ।
- 03— श्रीमती दीपाली शर्मा, द्वितीय जिला न्यायाधीश शिवपुरी ।
- 04— श्री विधान माहेश्वरी, तृतीय जिला न्यायाधीश शिवपुरी ।
- 05— श्री आर.बी. गुप्ता, चतुर्थ जिला न्यायाधीश शिवपुरी ।
- 06— श्री विवेक पटेल, पंचम जिला न्यायाधीश शिवपुरी ।
- 07— श्री अमित कुमार गुप्ता, सप्तम् जिला न्यायाधीश शिवपुरी ।
- 08— श्री प्रदीप कुशवाह, प्रथम जिला न्यायाधीश करैरा ।
- 09— श्री डी.एल. सोनिया, द्वितीय जिला न्यायाधीश करैरा ।
- 10— श्री महेश कुमार वर्मा, तृतीय जिला न्यायाधीश करैरा ।
- 11— श्री आर.एम. भगवती, जिला न्यायाधीश पिछोर ।
- 12— श्री हरिओम अतलसिया, अति. जिला न्यायाधीश पिछोर ।
- 13— श्री सज्जन सिंह सिसौदिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी ।
- 14— श्री जितेन्द्र मेहर, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड शिवपुरी ।
- 15— कु. नेहा प्रधान, प्रथम सीजे वरिष्ठ खण्ड के न्या. के अति. न्या. शिवपुरी ।
- 16— श्री श्रीकृष्ण बुखारिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड करैरा ।
- 17— श्रीमती कमला गौतम, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड करैरा ।
- 18— श्रीमती श्वेता मिश्रा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड करैरा ।
- 19— श्री अमनदीप सिंह छाबरा, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पिछोर ।
- 20— श्री भूपेन्द्र तिवारी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड खनियाधाना ।
- 21— सुश्री आरती रत्नानिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कोलारस ।
- 22— श्री अमित प्रताप सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी ।
- 23— श्रीमती रूपम तोमर, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी ।
- 24— श्रीमती सुनीता पचौरिया, षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी ।
- 25— सुश्री मोनिका यादव, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड करैरा ।
- 26— सुश्री नेहा प्रजापति, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड पिछोर ।
- 27— श्री अविनाश छारी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड पोहरी ।
- 28— सुश्री वंशिता गुप्ता, प्रशिक्षू न्यायाधीश शिवपुरी
- 29— सुश्री दिव्यानी सिंह, प्रशिक्षू न्यायाधीश शिवपुरी
- 30— सुश्री इतीशा संघवी, प्रशिक्षू न्यायाधीश शिवपुरी ।
- 31— निज सहायक, न्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी ।

विषय :— वित्तवर्ष 2024–25 में आयकर कटोत्रा कराये जाने बाबत ।

—००—

यथानिर्देशित उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, आगामी वित्त वर्ष 2024–25 में आप प्रतिमाह वेतन से आयकर के रूप में कितनी राशि का कटोत्रा कराना चाहते हैं इस संबंध में लिखित जानकारी **दिनांक 18.03.2024** तक प्रत्येक स्थिति में कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि आगामी माह मार्च पैड अप्रैल-24 के वेतन से नियमानुसार आयकर कटोत्रा किया जा सके ।

कृते. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवपुरी, म0प्र0 ।